संख्या-02/2020/ 70 /क.नि.प्र./26-3-2020-13(74)91

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ — लखनऊ: दिनांक 24 जनवरी,2020
समाज कल्याण विभाग

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अंशपूंजी की मद में धनराशि (राज्यांश) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी ऋण वितरण हेतु अंशपूंजी की मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्राविधानित रू0 980.39 लाख में से 51 प्रतिशत अर्थात् रू0 500.00 लाख (रू. पांच करोड़ मात्र) की धनराशि राज्यांश के रूप में उक्त निगम को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित की जायेगी।
2- यह अंशपूंजी रू. 100/- मूल्य के इक्यूटी शेयर्स के रूप में होगी। कृपया इतनी संख्या के शेयर महामहिम श्री राज्यपाल के नाम जारी कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि चुकता अंशपूंजी के सभी शेयर जारी/आवंटित हो चुके हैं।
3- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक खातों आदि में नहीं रखा जायेगा।

5- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकारउ.प्र. प्रयागराज को यथा समय उपलब्ध करा दिये जायेगें। इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1, अध्याय-16-ए के नियम और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियम लागू होगें।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- 4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंशकों का क्रय-(के.49/रा.51-के+रा.)-30 निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

<u>पृ.संख्या-02/2020/ 69 (1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता)
8. वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0 शासन।
9. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण,उ.प्र. शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।